संख्या-261/2026/1960/22-2-2024-17(1059)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नत्थू पुत्र भजना, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-33688/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.12.2022), दिनांक 09.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नत्थू पुत्र भजना, जो ग्राम-धौराई, थाना-अकराबाद, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनाँक 30/01.03.1992 को बन्दी ने अपने 13 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चें, गड़ासा, व चाकू से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-327/1992 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित कोर्ट संख्या-19, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 16.10.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 14.01.2024 तक 18 वर्ष 03 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 09 माह 19 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.12.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी की आयु लगभग 57 वर्ष, 01 माह, 25 दिन है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.01.2024 तक भोगी गई अपरिहार सजा 18 वर्ष 03 माह 01 दिन तथा सपरिहार सजा 21 वर्ष 09 माह 19 दिन की सजा, जेल आचरण वर्तमान में संतोषजनक होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नत्थू पुत्र भजना को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नत्थू (बन्दी संख्या-12324) पुत्र भजना, निवासी जनपद-अलीगढ़ की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-261/2026/1960(1)/22-2-2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-261/2026/1960/22-2-2024-17(1059)/2023

दिनांकः 19 मार्च, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नत्थू पुत्र भजना, जो ग्राम-धौराई, थाना-अकराबाद, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनाँक 30/01.03.1992 को बन्दी ने अपने 13 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चें, गड़ासा, व चाकू से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-327/1992 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित कोर्ट संख्या-19, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 16.10.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 14.01.2024 तक 18 वर्ष 03 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 09 माह 19 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.12.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी की आयु लगभग 57 वर्ष, 01 माह, 25 दिन है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.01.2024 तक भोगी गई अपरिहार सजा 18 वर्ष 03 माह 01 दिन तथा सपरिहार सजा 21 वर्ष 09 माह 19 दिन की सजा, जेल आचरण वर्तमान में संतोषजनक होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नत्थू पुत्र भजना को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।